प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

क्रमांकः 223–स0क0 (2)–10
दिनांक : 11.10.2010

विषयः– अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति बारे ।

.....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा में कार्यरत सभी वर्गो के कर्मचारियों के स्थानान्तरण बारे निम्न नीति अपनाने का सरकार ने निर्णय लिया हैः–

1. विभाग के जिला कार्यालयों में कार्यरत वर्ग "ग" (तृतीय श्रेणी) कर्मचारियों को साधारणतया 3 वर्ष तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक उनके विरूद्ध कोई गम्भीर कदाचार, भ्रष्टाचार आदि के आरोप न हो अथवा प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार जनहित में बदला जाना अनिवार्य न हो। लेकिन वर्ग "ग" के कर्मचारियों का एक स्थान पर अधिकतम ठहराव (स्टे) पांच वर्ष होगा।
2. जिला कल्याण अधिकारी को प्रत्येक 3 वर्ष बाद दूसरे जिले में स्थानान्तरण किया जायेगा।
3. मुख्यालय पर कार्यरत अधीक्षकों/उप–अधीक्षकों/सहायकों/खजान्ची एवं लिपिको का स्थानान्तरण उनकी सीटों से हर 3 वर्ष बाद किया जाएगा, ताकि सभी कर्मचारी सभी विभागीय स्कीमों/सीटों का कार्य सीख सकें। असाधारण स्थितियों अथवा प्रशासनिक कारणों के आधार पर जिनका उल्लेख आदेशों में होगा, यह समय सीमा बदली जा सकती है।
4. शारीरिक रूप से विकलांग, दम्पति, विधवा/परितयवता आदि कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों में यथा सम्भव सहानुसूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानान्तरण नीति में छूट प्रदान की जाएगी।
5. चलकों को स्थानान्तरित करने/एटजैस्टमैंट के लिए विभागीय वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव अथवा निदेशक सक्षम होंगे (क्योंकि जीपों की कमी तथा जिला कल्याण

अधिकारी एवं चालक के पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक कारणों से जिला कल्याण अधिकारी/चालक/जीपों की तबदीली होती रहती है।

6. किसी भी जिला कल्याण अधिकारी को सरकार की वर्तमान नीति में छूट देकर गृह जिले में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

7. जिन कर्मचारियों के बच्चे मानसिक रोगी, मूक बधिर या दृष्टिबाधित हों अथवा वे स्वयं कैंसर जैसे गम्भीर रोग से पीड़ित है या जिनका हृदय का अथवा गुर्दे का कोई बड़ा (मेजर) ऑपरेशन हो चुका हों उन्हें उनके घर के नजदीक नियुक्ति देने बारें सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

8. सेवा निवृति से दो वर्ष पूर्व साधारणतया किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी का स्थानान्तरण उसके नियुक्ति स्थान से नहीं किया जायेगा। हॉ यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अपने घर के नजदीक नियुक्ति चाहता हैं तो सेवा के अन्तिम दो वर्षो में उसकी प्रार्थना पर वरीयता आधार पर विचार किया जायेगा।

9. स्टाफ की कमी के कारण अथवा विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण नीति में ढील देकर राज्य सरकार अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनहित में पूरे राज्य में कहीं भी कर सकती है।

अतः विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी सभी मामले उक्त नीति के तहत ही विचारे जाऐंगे।

उपरोक्त स्थानान्तरण नीति का अनुमोदना मुख्य मंत्री महोदय से प्राप्त कर दिया गया है।

उप–सचिव,
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन 223–स0क0 (2)–10 दिनांकः 11.10.2010

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
3. सभी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण।

उप–सचिव,
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़।